7/8

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

प्रार्थना पत्र 14(4) 16/18 तारीख रजू– 05/07/18

1– जगदीश पुत्र रामचन्द्र उम्र 67 साल जाति जाट
2– नारायण पुत्र श्रवण उम्र 65 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम महापुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा।

———प्रार्थी

बनाम

1– राजाराम पुत्र स्व0 रामरख निवासी ग्राम महापुरा तह0 चौथ का बरवाड़ा।
2– केदार पुत्र स्व0 रामरख निवासी ग्राम महापुरा तह0 चौथ का बरवाड़ा।
3– रामजीलाल पुत्र स्व0 रामरख निवासी ग्राम महापुरा तह0 चौथ का बरवाड़ा।
4– रामकेश पुत्र स्व0 रामरख निवासी ग्राम महापुरा तह0 चौथ का बरवाड़ा।
5– बच्ची पत्नि स्व0 रामरख निवासी ग्राम महापुरा तह0 चौथ का बरवाड़ा।
6– अध्यक्ष एडवाईजरी कमेटी स0मा0 जरिये उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर।
7– लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा।

———अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक– 18.1.19

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14(4) एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 5 के पति के पक्ष में दिनांक 09/01/1973 को ग्राम महापुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 743 रकबा 08 बिस्वा हाल ख0नं0 1424 रकबा 0.10 है0 भूमि आंवटन की गई थी। उक्त आवंटन के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही आवंटन आदेश दिनांक 09/01/73 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त वाद आरजीयात पर वारिसानों के समय से ही प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त वाद आरजीयात पर आज भी हमारा कब्जा है तथा आंवटी द्वारा आवंटन से आज दिनांक पर उक्त भूमि पर काश्त नहीं की है। जबकि आवंटन नियम के अनुसार तीन वर्ष तक काश्त करना अति0 आवश्यक है। उक्त आवंटन में आवंटन सलाहकार समिति का कोरम भी अपूर्ण है। अतः उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है, साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 09/01/73 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त आवंटन वर्ष 1973 का है। आवंटन के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा आंवटी को कब्जा संभलवाया गया था तथा 45 वर्षो से जमाबन्दी हमारे नाम ही चल रही है तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण का कब्जा है तो भी प्रार्थीगण अतिक्रमी है तथा अतिक्रमी को आंवटन निरस्त करने का अधिकार नहीं है तथा आवंटी द्वारा नियमानुसार आवंटन हेतु आवेदन पत्र एस0डी0ओ0 के यहां प्रस्तुत किया था तथा पटवारी रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

8/8

एवं आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर नियमानुसार आवंटी के पक्ष में आवंटन किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। उक्त आवंटन नियमानुसार किया गया है, साथ ही वकील अप्रार्थी द्वारा आंवटन आदेश दिनांक 09/01/73 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। आलोच्य आंवटन आदेश दिनांक 09/01/73 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 5 के पति के पक्ष में आवंटन हुआ ,जिसे लगभग 45 वर्ष का अरसा हो गया है तथा उक्त आंवटन आदेश में आवंटन सलाहकार समिति के कोरम में उपस्थित संरपच, प्रधान , उपखण्ड अधिकारी की सिफारीश भी है तथा पटवारी की कब्जा रिपोर्ट के अनुसार आवंटन के पश्चात् आवंटी को कब्जा भी संभलवाया गया है। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि व अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। अतः मेरे अभिमत में उक्त आवंटन आदेश सही व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है, साथ ही अप्रार्थी 1 लगायत 4 के पिता व अप्रार्थी संख्या 5 के पति रामरखा के पक्ष में ग्राम महापुरा में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 09/01/1973 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18·1·19 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर